**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 318**
**मंगलवार, 4 फ़रवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ**

**प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की भूमिका**

†**318**. **श्रीमती डी. के. अरुणाः**
**श्री इटेला राजेंदरः**
**श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दो लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) का गठन करने की प्रक्रिया कर रही है ताकि पीएसीएस की पारंपरिक भूमिका को ऋण और आदान आपूर्ति से इतर और आगे बढ़ाया जा सके और क्या साथ ही सम्पूर्ण देश में 70,000 अनाज भंडारण केन्द्र स्थापित करने की योजना है जिसमें पीएसीएस की ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका संभावित है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में अब तक किए गए/कार्यान्वित किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु आज की तिथि के अनुसार राज्यवार कितनी निधि स्वीकृत/खर्च की गई है?

**उत्तर**

**सहकारिता मंत्री**
**(श्री अमित शाह)**

(क) और (ख): सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने के लिए 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर पर इसे सघन करने की एक योजना को दिनांक 15.02.2023 को अनुमोदित किया है ।

इस योजना के प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के समन्वय से दिनांक 19.09.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) का विमोचन किया है जिसमें संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा उल्लिखित है । इसके अलावा, जमीन स्तर पर इस योजना के समयबद्ध निष्पादन हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा जिला स्तर पर संयुक्त कार्य समितियों (JWC) का भी गठन किया गया है ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार इस पहल के शुभारंभ से अब तक देश में 3,667 नए बहुउद्देशीय पैक्स, 8,294 डेयरी और 996 मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को भी अनुमोदित किया है जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है । इस योजना में कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, आदि जैसी भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स के स्तर पर गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण शामिल है । इस योजना की पायलट परियोजना के अधीन 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ।

इन योजनाओं का कार्यान्वयन प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के स्तर पर अभिसरण की जाने वाली भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), इत्यादि की मौजूदा बजटीय परिव्ययों का उपभोग कर किया जा रहा है ।

स्थापित की गई नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों का राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक** पर प्रस्तुत है ।

*****

**अनुलग्नक**

| नव-पंजीकृत सहकारी समितियां | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **पैक्स** | **डेयरी** | **मात्स्यिकी** | **कुल** |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 1 | 7 | 9 |
| **आंध्र प्रदेश** | **0** | **896** | **1** | **897** |
| अरुणाचल प्रदेश | 12 | 9 | 12 | 33 |
| असम | 59 | 233 | 29 | 321 |
| बिहार | 25 | 283 | 0 | 308 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 136 | 195 | 331 |
| गोवा | 12 | 0 | 0 | 12 |
| गुजरात | 291 | 435 | 7 | 733 |
| हरियाणा | 2 | 43 | 5 | 50 |
| हिमाचल प्रदेश | 57 | 350 | 4 | 411 |
| जम्मू और कश्मीर | 84 | 1005 | 29 | 1118 |
| झारखंड | 44 | 131 | 73 | 248 |
| **कर्नाटक** | **128** | **453** | **17** | **598** |
| लद्दाख | 0 | 3 | 1 | 4 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 7 | 7 |
| मध्य प्रदेश | 16 | 443 | 154 | 613 |
| महाराष्ट्र | 148 | 668 | 73 | 889 |
| मणिपुर | 68 | 17 | 10 | 95 |
| मेघालय | 193 | 12 | 1 | 206 |
| मिजोरम | 25 | 2 | 2 | 29 |
| नागालैंड | 12 | 0 | 2 | 14 |
| **ओडिशा** | **1535** | **0** | **0** | **1535** |
| पुड्डुचेरी | 2 | 2 | 3 | 7 |
| पंजाब | 0 | 80 | 0 | 80 |
| राजस्थान | 760 | 1232 | 3 | 1995 |
| सिक्किम | 23 | 34 | 0 | 57 |
| तमिलनाडु | 21 | 478 | 21 | 520 |
| **तेलंगाना** | **0** | **15** | **67** | **82** |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 4 | 0 | 1 | 5 |
| त्रिपुरा | 38 | 0 | 2 | 40 |
| उत्तर प्रदेश | 94 | 1181 | 189 | 1464 |
| उत्तराखंड | 0 | 66 | 81 | 147 |
| पश्चिम बंगाल | 13 | 86 | 0 | 99 |
| **कुल** | **3,667** | **8,294** | **996** | **12,957** |

*****